

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3283

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता

3283. श्री अमरा राम:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में रासायनिक उर्वरकों की कुल कितनी आवश्यकता है और उसमें से प्रत्येक वर्ष घरेलू उत्पादन की मात्रा और अन्य देशों से आयातित मात्रा कितनी है;
- (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल कच्चे माल का आयात किया जाए, सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश में सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक विनिर्माण इकाइयों का ब्यौरा क्या है और कितनी इकाइयां स्थापित तथा वर्तमान में कार्यशील या बंद पड़ी हुई हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीकेएस उर्वरकों की आवश्यकता का विवरण निम्नानुसार है:

अखिल भारत					
2023-24 से 2025-26 तक उर्वरकों की आवश्यकता					
आँकड़े एलएमटी में					
S. No.	वर्ष	आवश्यकता			
		यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीकेएस
1	2023-24	356.08	110.18	27.62	126.31
2	2024-25	364.01	111.92	22.21	151.29
3	2025-26	381.45	110.42	26.82	158.49

इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान प्रमुख उर्वरकों के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

प्रमुख उर्वरकों का वर्षवार उत्पादन					
उत्पादन					(आँकड़े एलएमटी में)
वर्ष	यूरिया	डीएपी	एनपीकेएस	एसएसपी	कुल उर्वरक
2023-24	314.09	42.97	101.85	44.44	503.35
2024-25	306.67	37.72	121.05	52.44	517.88
2025-26	293.26	39.14	128.37	56.72	517.49
स्रोत: dbtfert.nic.in					

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीके के आयात का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीके उर्वरकों का आयात				
मात्रा एलएमटी में				
वर्ष	यूरिया	कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार		
		डीएपी	एमओपी*	एनपीके
2023-24	70.42	55.67	28.69	22.17
2024-25	56.47	45.69	35.41	22.72
2025-26	103.50	61.94	29.00	37.08
एमओपी में कृषि एवं औद्योगिक उपयोग, दोनों सम्मिलित हैं*				

(ख): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुंडम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

की जेवीसी नामतः तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिससे असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटी बढ़ा है।

उपरोक्त उपायों से 2014-15 के दौरान रहा यूरिया उत्पादन प्रति वर्ष 225 एलएमटी के स्तर से 2023-24 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर 314.07 एलएमटी हो गया है। 2025-26 के दौरान, देश में 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन किया गया था।

इसके अलावा, सीसीईए ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को 15.07.2026 को मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए, दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

हालांकि, आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु 18.01.2024 को युक्तिसंगत अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनके अंतर्गत आयातकों / उत्पादकों को क्रमशः 8 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत तक का युक्तिसंगत लाभ प्रदान किया गया है। प्राप्त अनुरोधों के आधार पर मौजूदा इकाइयों की नई उत्पादन क्षमता को एनबीएस स्कीम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है/अभिलेख में दर्ज किया गया है। एनबीएस स्कीम के अंतर्गत शामिल पीएंडके उर्वरकों की श्रेणियों (ग्रेडों) की संख्या जो वर्ष 2021 में 22 थी, से बढ़कर 28 हो गई है। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के उपयोग को बढ़ावा देने तथा मिट्टी में फॉस्फोरसयुक्त (पी) पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक एसएसपी पर खरीफ 2022 से मालभाड़ा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, इस स्कीम के अंतर्गत उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनबीएस स्कीम के अंतर्गत पोषक तत्वों की दरें अर्द्धवार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।

(ग): वर्तमान में उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित नौ (9) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रम (PSUs) हैं। इनके प्रचालनरत संयंत्रों की सूची निम्नानुसार है:

1. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल):-
थल (रायगढ़, महाराष्ट्र), ट्रॉम्बे (मुंबई, महाराष्ट्र)
 2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल):-
पंजाब में नांगल और बठिंडा प्लांट, हरियाणा में पानीपत प्लांट और मध्य प्रदेश में विजयपुर (गुना ज़िला) में दो प्लांट।
 3. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल):-
मणली, चेन्नई।
 4. द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फ़ैक्ट):-
उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स, कोच्चि, केरल
 5. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल):-
असम में नामरूप-II, नामरूप-III
 6. FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फ़ैगमिल):- जोधपुर (राजस्थान), जिप्सम माइनिंग का काम करती है।
 7. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सर्विस देती है।
- नीचे दी गई दो सीपीएसई अभी काम नहीं कर रही हैं:-
8. हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल), उत्तर प्रदेश।
 9. द फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआई), उत्तर प्रदेश।
